प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 15-01-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का 01 अभियुक्त को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2025 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत जिला मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना व गर्भपात कराने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 636/2025, धारा-69,88 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यावाही व बयानों के आधार पर धारा 88 बीएनएस का लोप किया गया। आज दिनांक 15.01.2026 को उ0नि0 श्री उचित कुमार थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त सुमनेश उर्फ सुबनेश पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम इमरतपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के 01 अभियुक्त को थाना मूढापाण्डे पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.01.2026 को वादी निवासी थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी की भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मूढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूँढापाण्डे पर मु0अ0सं0- 008/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यावाही, बयानों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धी की गई। आज दिनांक 15.01.2026 को उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिह थाना मूढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ अभियुक्त अजय पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम गतौरा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 02 व्यक्ति को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

थाना बिलारी -02,